न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– जगदीश शर्मा

सिविल प्रकरण संख्याः– 19/2020 तारीख रजू 26.10.2020

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेलवे कोटा।

.....आवेदक

बनाम

1. चिंकी शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द्र शर्मा वेण्डर आफ मैसर्स शंकरलाल शर्मा, रिफ्रेशमेन्ट टी स्टाल,नं. 1, प्लेटफार्म सं. 2/3, सवाई माधोपुर निवासी श्री चिंकी शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द्र शर्मा, ब्रहमपुरी टीआरडी रेलवे कॉलोनी, सवाई माधोपुर। (खाद्य कारोबारकर्ता)
2. मैसर्स शंकरलाल शर्मा, रिफ्रेशमेन्ट टी स्टाल,नं. 1, प्लेटफार्म सं. 2/3, सवाई माधोपुर जं (फर्म)
3. श्री शंकरलाल शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा, लाईसेन्सी, मैसर्स शंकरलाल शर्मा, रिफ्रेशमेन्ट टी स्टाल,नं. 1, प्लेटफार्म सं. 2/3, सवाई माधोपुर जं.। निवासी श्री शंकरलाल शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा, शर्मा होटल, मेन मार्केट, बजरिया सवाई माधोपुर (लाईसेंसी)
4. HUL, TEA UNIT VILLAGE-ASRAULI, GT ROAD, ETAH-207001 (UP) (निर्माता कम्पनी)
5. HINDUSTAN UNILEVER LTD., UNILEVER HOUSE, B.D., SAWANT MARG, CHAKALA, ANDHERI (EAST) MUMBAI-400099 (मार्केटेड बाय)
6. RAJESH RAZDAN NOMINEE OF HINDUSTAN UNILEVER LTD., TEA UNIT VILLAGE-ASRAULI, GT ROAD, ETAH-207001 (UP) (नोमिनी)

..... अभियुक्तगण

उपस्थित – श्री ओमप्रकाश राठौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी – आवेदक
श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल एडवोकेट – अभियुक्त सं. 1 लगा. 3
श्री हिम्मत सिंह राजावत एडवोकेट – अभियुक्त सं. 4 लगा. 6

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 08/05/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेल जबलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री ओम प्रकाश राठौर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 12.10.

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

2019 को समय 15.45 बजे मैसर्स शंकर लाल शर्मा, रिफ्रेशमेन्ट टी स्टॉल सं. 01, प्लेटफार्म सं. 2/3 स.माधोपुर जं0 का निरीक्षण किया। जहां पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री चिंकी शर्मा खाद्य पदार्थ Brooke Bond Taj Mahal Tea की ब्रिकी कर रहे थे, उनको आवेदक ने अपना परिचय दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय के लिए रखे खाद्य पदार्थ Brooke Bond Taj Mahal Tea में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से लगभग 500 ग्राम क्षमता के कुल 04 शील्डशुदा पेकेट (04x500Gm.=02Kg) वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत 920/– रूपये विक्रेता को नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक द्वारा खरीद शुदा खाद्य पदार्थ Brooke Bond Taj Mahal Tea मात्रा 02 Kg को 4 बराबर–बराबर भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग में 500–500 ग्राम के 4 शील्ड पैकेट को धागे से बांधकर चार पार्ट बनाये गये। इसके पश्चात् नमूने का लेबल तैयार कर लेबल पर आवेदक द्वारा एवं खाद्य कारोबारकर्ता श्री चिंकी शर्मा एवं गवाह श्री लक्ष्मण ने हस्ताक्षर किये। अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के कोड एवं क्रमांक डब्ल्यूसीआर/915–568 दर्ज किया। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी पेपर में लपेट कर किनारे गोंद से चिपकाए इसके पश्चात अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप जिसका कोड एवं स्लिप नं. डब्ल्यूसीआर/915–568 नीचे से उपर तक प्रत्येक पार्ट पर गोंद से चिपकायी तथा प्रत्येक पार्ट को धागे से बांधकर नियमानुसार चार सील चपड़ी की, प्रत्येक पार्ट के उपर–नीचे, दांये–बांए लगायी गयी। इसके बाद प्रत्येक पार्ट पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप एवं रेपर दोनो पर आए तथा आवेदक ने प्रत्येक पार्ट पर हस्ताक्षर किये। नमूना लेकर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। शेष तीन भाग सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की 3 प्रतियों के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गईं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के पत्र क्रमांक पमरे/एचक्यू/एच/एच 0002/एफएसएसए दिनांक 30.10.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 495/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2019/531 दिनांक 24.10.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Brooke Bond Taj Mahal Tea Misbranded पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने Misbranded खाद्य पदार्थ Brooke Bond Taj Mahal Tea का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

आवेदक ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ Brooke Bond Taj Mahal Tea मिसब्राण्ड प्रकृति का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कथन जिस प्रकार से वर्णित है कि अभियुक्त द्वारा कोई मिसब्राण्ड प्रकृति खाद्य पदार्थ Brooke Bond Taj Mahal Tea ब्राण्ड का विक्रय किया हो, गलत है तथा अस्वीकार है। अभियुक्तगण के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(10) की धारा का उल्लघंन किये जाने का बयान किया गया है परन्तु उत्तर देने वाले प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 6 ने निवेदन किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) में कोई भी अपराध नहीं बनता है क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) का सारभूत अनुपालन किया गया है एवं सैंपल ली गई वस्तु में जो वास्तविक घोषणा पायी गयी थी अर्थात "पैकिंग की तिथि से 12 माह पूर्व" उससे अधिक सूचित करता है जो कि उत्पाद की विशुद्धता के बारे में खरीदने वालों को सूचित किया जाना आवश्यक था "तिथि के" शब्द का प्रयोग मात्र एक अधिशेष समय, उत्तर दे रहे प्रतिवादी को दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं लायेगा। किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है। वांछित जानकारी लेवल पर मुद्रित की गई. इसलिए उत्पाद के उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि कारित नहीं की गई। उक्त धारा का किसी भी प्रकार से उल्लघंन नहीं किया गया है। अतः न्याय निर्णयन आवेदन पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 495/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2019/531 दिनांक 24.10.2019 के अनुसार विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(10) की धारा का उल्लघंन का दोषी माना गया है जबकि अभियुक्तगण द्वारा बहस में कथन

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

किया है कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2. 2(10) का सारवान अनुपालन किया है एवं वांछित जानकारी लेवल पर मुद्रित की गई थी इसलिए उत्पाद के उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि कारित नहीं की गई है। सैंपल ली गई वस्तु में जो वास्तविक घोषणा पायी गयी थी अर्थात "पैकिंग की तिथि से 12 माह पूर्व" उससे अधिक सूचित करता है जो कि उत्पाद की विशुद्धता के बारे में खरीदने वालों को सूचित किया जाना आवश्यक था "तिथि के" शब्द का प्रयोग मात्र एक अधिशेष समय, उत्तर दे रहे प्रतिवादी को दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं लायेगा। किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है, को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) के उल्लंघन के आरोप में मेरी राय में संदेह का लाभ अप्रार्थीगण को दिया जाना उचित होगा क्योंकि अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक मात्र शिकायत शब्द "**की तिथि**" से थी जोकि याचिकाकर्ता द्वारा लेवल पर जोडा गया था यहां तक कि और अन्यथा, लेवल की घोषणा का उद्देश्य यह था कि ग्राहक को वस्तु खरीदते समय इस बात की जानकारी हो कि जिस वस्तु को वह खरीद रहा है वह वस्तु प्रयोग किये जाने योग्य है और किस समय तक उस वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। इस कारण उपरोक्त प्रस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने मेरी राय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग और लेवलिंग विनियम के विनियम 2.2.2(10) के अन्तर्गत कोई अपराध कारित नहीं किया है।

उक्त विवेचन के आधार खाद्य विश्लेषक कोटा की जॉच रिपोर्ट संख्या 495/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2019/531 दिनांक 24.10.2019 के अनुसार अभियुक्त के प्रतिष्ठान पर से लिया गया सेम्पल Brooke Bond Taj Mahal Tea मेरी राय में न तो मिस ब्राण्ड पाया गया है और ना हीं सब स्टेण्डर्ड। मेरी राय में प्रकरण निरस्त योग्य पाया जाता है।

अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेलवे कोटा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8/5/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर